मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 24/05/2023

क्र. IPI/5/0032/2023/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स एच.ई.जी. लि. द्वारा नवीन सहायक कंपनी के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र सिरसोदा, जिला देवास में दो चरणों में रूपये 1,850.00 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से ग्रेफाइट एनोड निर्माण हेतु नवीन इकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव (DIPIP2209060001) पर निम्नानुसार सुविधायें दिये जाने का निर्णय लिया गया-

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता-** उद्योग सवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता, परियोजना अन्तर्गत यत्र संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर 25 प्रतिशत की स्थिर दर से, रोजगार गणक सहित, शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये। निवेश प्रोत्साहन सहायता की गणना में इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक तक एवं इसके 2 वर्ष पश्चात तक किये गये निवेश को शामिल कर किया जाये। निर्यात गणक सहित निवेश प्रोत्साहन सहायता की अधिकतम सीमा रू. 500/- करोड़ से अधिक नहीं होगी।

2. **विद्युत टैरिफ में रियायत-** परियोजना अंतर्गत स्थापित नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रुपये 1/- प्रति यूनिट की छूट दी जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जायेगी।

3. **विद्युत शुल्क से छूट-** परियोजना अंतर्गत स्थापित नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 10 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जाये।

4. **भूमि आवंटन** - कंपनी की परियोजना स्थापना हेतु एक चक भूमि की मांग पर औद्योगिक क्षेत्र सिरसोदा में भूमि आवंटन निम्न शर्तों/ निर्देशों के अंतर्गत किया जाये :-

   1) औद्योगिक क्षेत्र सिरसोदा के अधोसरंचना विकास हेतु किये गये संपूर्ण व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी को किये जाने पर परियोजना की स्थापना हेतु 100 एकड़ तक भूमि का आवंटन प्रचलित भू-आवंटन नियम अनुसार किया जाये।

   2) अधोसरंचना विकास की राशि की प्रतिपूर्ति होने पर भू-आवंटन पर विकास शुल्क एवं वार्षिक संधारण शुल्क की राशि अधिरोपित नहीं की जाये।

   3) परियोजना स्थापना हेतु औद्योगिक क्षेत्र के लेआउट को पुनरीक्षित कर आवंटित की जाये।

निरंतर.....

4) औद्योगिक क्षेत्र में अन्य इकाईयों को आवंटित भूखण्डों के आपसी सहमति से हस्तांतरण प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रचलित भू-आवंटन नियम अनुसार हस्तांतरण की अनुमति दी जाये।

अथवा

औद्योगिक क्षेत्र में पूर्व से आवंटित इकाईयों को औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध रिक्त भू-खण्ड से विनिमय किये जाने की अनुमति दी जाये।

5) विभाग के आधिपत्य में औद्योगिक क्षेत्र में स्थित तालाब के संधारण एवं उसके आस-पास के क्षेत्र के हरितकरण का दायित्व इकाई का होगा।

5. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश (प्रथम चरण) के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये। स्वीकृत सुविधा के लाभ हेतु गणना पृथक-पृथक चरण में नहीं करते हुए इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से की जायेगी।

6. परियोजना को उद्योग सवंर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगी।

7. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(मनीष सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ. क्र. IPI/5/0032/2023/ए-ग्यारह
भोपाल, दिनांक24/05/2023

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन।
4. कलेक्टर, जिला- देवास।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, उपाध्यक्ष (Vice Chairman), मेसर्स एच.ई.जी. लि. Bhilwara Towers, A-12, Sector-1 Noida-201301 (NCR-Delhi)।

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग